

दिनांक:-25.06.2026 को अपर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा हेतु नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ विभागीय सभागार में आयोजित बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थिति:-पंजी के अनुसार।
2. सर्वप्रथम अपर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित विभागों/निदेशालयों के नोडल पदाधिकारी, विभागीय अभियंताओं तथा बिहार अग्निशमन सेवा के अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

उपस्थिति पंजी के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सामाज कल्याण विभाग, निर्वाचन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सूचना जन सम्पर्क विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, संसदीय कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार राज्य योजना पर्षद, समाज कल्याण निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार लोक सेवा आयोग के नोडल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे।
3. सभी नोडल पदाधिकारी को अपने विभाग के अन्तर्गत भवनों में निम्नांकित कार्य कराने का निदेश दिया गया :-
 - i. पर्याप्त संख्या में Fire Extinguisher कार्यशील अवस्था में अधिष्ठापित करें।
 - ii. आपातकालीन निकास द्वार को बाधामुक्त रखें।
 - iii. कार्यालय अवधि के पश्चात लाईट/पंखा/एसी..... इत्यादि बिजली उपकरणों को बंद करने हेतु कर्मियों को नामित करें।
 - iv. प्रत्येक तल पर अग्नि सुरक्षा से बचाव हेतु QRT दल गठित करें।

(अनुपालन :-सभी नोडल पदाधिकारी)
4. सभी नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भवन में अधिष्ठापित Fire Extinguisher की Expiry Date की जाँच करा लें एवं Expiry की स्थिति में उसे अविलम्ब Refilling भी करा लें।

(अनुपालन :-सभी नोडल पदाधिकारी)
5. सचिवालय से संबद्ध भवनों में आग की आपातकालीन स्थिति में कर्मियों/पदाधिकारियों को नियत समय में सुरक्षित बाहर निकलने के संबंध में मॉक-ड्रील कराने हेतु जिला अग्निशमन पदाधिकारी को निदेशित किया गया। उसकी जानकारी संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को मॉक-ड्रील से कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व दें ताकि संबंधित नोडल पदाधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई कर सकें।

(अनुपालन:-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना)
6. पटेल भवन स्थित Forensic Lab के पास अलमारी एवं कचरा से रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है जिसे अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हटाना अत्यंत आवश्यक है। नोडल पदाधिकारी, गृह विभाग को बाधामुक्त कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :-नोडल पदाधिकारी, गृह विभाग)
7. जिन भवनों का NOC प्रमाण पत्र मिल गया है, उसकी जाँच करने एवं उसकी समयावधि समाप्त होने पर पुनः आवेदन करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-संबंधित कार्यपालक अभियंता)

8. जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना के द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण के संबंध में विभागों के द्वारा पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची उपलब्ध करायी गई है उनका प्रशिक्षण दिनांक-10.07.2026 से संभावित है।
(अनुपालन :-जिला अग्निशमन पदाधिकारी)
9. नियोजन भवन के UPS Room में Fire Extinguisher अधिष्ठापित नहीं है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं0-01 एवं अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी संबंधित नोडल पदाधिकारी को अग्नि शमन यंत्र अधिष्ठापित कराने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करें।
(अनुपालन :-कार्यपालक अभि० विद्युत कार्य प्रमंडल सं0-01 एवं अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी)
10. नवनिर्मित भवन यथा-वित्त भवन(गर्दनीबाग), कृषि भवन तथा पशु एवं मत्स्य भवन आदि का अग्नि अंकेक्षण किया गया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा की वृहत व्यवस्था नहीं है। संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी को उक्त भवनों में अग्निसुरक्षा से संबंधित वृहत कार्य कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:-संबंधित नोडल पदाधिकारी)
11. टेक्नोलॉजी भवन में कई स्थानों पर Water Sprinkler लगाने का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि शेष स्थानों पर Water Sprinkler लगाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिए संचिका उपस्थापित है।
(अनुपालन :-कार्य० अभि० केन्द्रीय भवन प्रमंडल सं0-01)
12. अगामी समीक्षा बैठक में सिर्फ नामित नोडल पदाधिकारी को ही भाग लेने का निदेश दिया गया क्योंकि बार-बार अलग-अलग पदाधिकारी के भाग लेने से पूर्व की समीक्षा बैठक में दिये गये निदेशों का जानकारी नहीं रहने के कारण समीक्षा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
(अनुपालन:-सभी नोडल पदाधिकारी)
13. पथ निर्माण विभाग के Electric Panel Room में Battery रखा हुआ है जो एक Fire Hazard है जिसे हटाना अत्यंत आवश्यक है। संबंधित नोडल पदाधिकारी को यथाशीघ्र Battery हटवाने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:-नोडल पदाधिकारी पथ निर्माण विभाग)
14. विकास भवन स्थित कला एवं संस्कृति विभाग के कोरिडोर में आलमारी को रखकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। संबंधित नोडल पदाधिकारी को बाधामुक्त करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:-नोडल पदाधिकारी, कला एवं संस्कृति विभाग)
15. सभी नोडल पदाधिकारियों एवं विभागीय अभियंताओं को गर्मी के महिनो में अग्नि सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यालय अवधि के पश्चात विद्युत उपकरण (एसी/पंखा/लाइट इत्यादी) को बंद कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:-सभी नोडल पदाधिकारी)
16. विद्युत भवन के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत भवन परिसर के विद्युत भवन सं0-03 में Water Sprinkler के साथ सभी अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित करा लिया गया है, एवं विद्युत भवन संख्या-01 एवं 02 में Water Sprinkler लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को यथाशीघ्र उक्त भवनों में Water Sprinkler लगाने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:-संबंधित कार्यपालक अभियंता)
17. अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभागों में नामित QRT सदस्यों एवं Housekeeping Staff तथा सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सजग एवं जागरूक करने के संबंध में सभी नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।
(अनुपालन :-सभी नोडल पदाधिकारी)
18. भवनों की मूल संरचना/डिजाइन में भवन निर्माण विभाग की अनुमति के बीना कोई कार्य नहीं कराया जाए। सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन:-सभी नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता)

4

19. भारी विद्युत उपकरण यथा AC का अधिष्ठापन के पूर्व भवन निर्माण विभाग से अनुमति प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही नोडल पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि अपने विभाग में अधिष्ठापित सभी वातानुकूलित यंत्रों की समय-समय पर देख-भाल/रख-रखाव (सर्विसिंग) की जाय।
(अनुपालन:-सभी नोडल पदाधिकारी)

20. पूर्व के समीक्षा बैठक में जिला अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुझाव दिया गया कि CO₂ पोर्टेबल Fire Extinguisher को बाहर धूप में नहीं रखें क्योंकि उसमें ठोस CO₂ रहता है जिसके कारण उसमें ब्लास्ट हो सकता है। साथ ही इसकी भी जाँच करा ली जाए कि सभी Fire Extinguisher क्रियाशील स्थिति में है। यदि कोई भी Fire Extinguisher Expire कर गया है तो उसे रिफिलिंग अथवा बदलने की कार्रवाई की जाय।
(अनुपालन:-सभी नोडल पदाधिकारी)

21. सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि Fire Hydrant से संबद्ध UG Tank के पानी से सफाई/बागवानी कार्य कराये ताकि UG Tank का पानी खाली हो सके एवं मोटर पम्प चलता रहे।
(अनुपालन:-संबंधित कार्यपालक अभियंता)

22. संरचना प्रमंडल संख्या-03, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभिन्न भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित वृहत कार्य कराया जा रहा है जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत है:-

क्र०	योजना का नाम	कार्य समाप्ति की तिथि	प्रतिशत
1.	सिंचाई भवन पटना परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन कार्य	02.01.2025	100
2.	विश्वेश्वरैया भवन, टेक्नोलॉजी भवन एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण भवन परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	100
3.	विकास भवन, पटना परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	80
4.	मुख्य सचिवालय(पुराना सचिवालय) पटना, परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	75

विकास भवन तथा मुख्य सचिवालय में कराये जा रहे अग्नि सुरक्षा से संबंधित वृहत कार्य धीमी गति से हो रही है। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०-03 को उक्त भवनों में कार्य में तेजी लाने तथा ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

अपर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-प्र०-09-08(विविध)-18/2023 617362 पटना, दिनांक- 8/7/26

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन पदाधिकारी(अग्नि सुरक्षा), सभी विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/मुख्य अभियंता (विद्युत)/ अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/विद्युत अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०-01 एवं 3/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-01, 02, 03 एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

अपर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।